

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी
(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 866/2014
संस्थित दिनांक 20.12.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
ठीकरी, जिला बड़वानी, मप्र

– **अभियोगी**

वि रु द्ध

रोहित पिता हरी कामले, उम्र 27 वर्ष,
निवासी सेंगवाल, थाना ठीकरी,

– **अभियुक्त**

अभियोजन द्वारा एडीपीओ – श्री अकरम मंसूरी

अभियुक्त द्वारा अभिभाषक – श्री के.के. चांदोरे

–: **नि र्ण य :-**

(आज दिनांक 15.09.2017 को घोषित)

01– आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 283/2014 के आधार पर दिनांक 08.12.2014 को सुबह के लगभग 9:00 बजे ग्राम सेंगवाल श्याम की पंचर की दुकान के सामने अभियोक्त्री जो कि एक स्त्री है की लज्जा भग करने के आशय से उसका हाथ बुरी नियत से पकड़कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिये भा.द.वि. की धारा 354 का आरोप है।

02– प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि अभियोक्त्री आरोपी को पहचानती है तथा अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि प्रकरण में विचारण के दौरान फरियादी द्वारा राजीनामा किये जाने के आधार पर आरोपी को भा.द.वि. की धारा 341 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भा.द.वि. की धारा 354 का अपराध अशमनीय प्रकृति का होने से उक्त धारा में निर्णय किया जा रहा है।

03– अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 8.12.2014 को शाम के 4:30 बजे फरियादिया ने थाना ठीकरी पर आकर आरोपी के विरुद्ध इस आशय की प्रथम सूचना लिखाई कि वह आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर 4 साल से पदस्थ थी। आरोपी उसके गांव का है और पिछले 3 माह से उसे परेशान कर रहा है। आरोपी उसे अक्सर कहता है कि आ जा उसकी बस में बैठ जा, घुमने चलेगे, मेरे साथ घर पर रह तेरे साथ शादी करुंगा। कल सुबह 9:00 बजे वह बच्चों को लेने स्कूल जा रही थी तभी श्याम पंचर वाले कि दुकान के सामने आरोपी ने उसका रास्ता रोक लिया और आरोपी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि उसके साथ उसके घर चल तो उसने उसको मना कर दिया एवं अपना हाथ छोड़ा लिया, उस समय उसकी ननद रजनीबाई आ गई, जिसने घटना देखी है। फिर आरोपी भाग गया। उसने घटना घर पर पति राजकुमार व देवर लोकेश को बतायी और परिवार में चर्चा करने के बाद

पति व ननद को साथ लेकर घटना की रिपोर्ट करने आयी है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी पर अपराध क्रमांक 283/14 दर्ज कर, घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, फरियादी एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— उपरोक्त अनुसार मेरे द्वारा अभियुक्त को भादवि की धारा 354 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित करने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है, अभियुक्त ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना प्रकट किया है।

05— प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 08.12.2014 को सुबह के लगभग 9:00 बजे ग्राम सैगवाल श्याम की पंचर की दुकान के सामने अभियोक्त्री जो कि एक स्त्री है की लज्जा भग करने के आशय से उसका हाथ बुरी नियत से पकड़कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया?

- विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष -

06— उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने कोई कथन नहीं किया है। साक्षी का केवल इतना कथन है कि ढाई वर्ष पूर्व सुबह 7-8 बजे उसका आरोपी से रास्ते की बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उसने थान ठीकरी पर की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका ईलाज कराया था। उसने पुलिस को घटना स्थल बताया था जो प्रदर्श पी 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन की ओर से उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के दिन जब वह आंगनवाडी के बच्चों को स्कूल से लेने के लिये जा रही थी तभी आरोपी श्याम पंचर वाले की दुकान के सामने आया और उसका रास्ता रोककर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उसके घर चलने को कहा। यहा तक कि साक्षी ने पुलिस को रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 और दं.प्र.सं. की धारा 164 के कथन में भी उक्त बातें बताने से इंकार किया है।

07— सुरेन्द्रसिंह (अ.सा.2) का कथन है कि थाना ठीकरी के अपराध क्र. 283/14 की विवेचना के दौरान उसने अभियोक्त्री की निशांदाही से घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 का बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा फरियादी एवं साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने असत्य विवेचना की है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

08— राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी का परीक्षण अभियोजन

की ओर से नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण का फरियादी स्वयं पक्ष विरोधी रही है और उसने अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 354 के अपराध के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं तथा उससे राजीनामा होना स्वीकार किया है तो फरियादी स्वयं के कथनों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उसे उक्त अपराध के लिये दोषविद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किये जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 354 के अंतर्गत अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

09— अतः आरोपी रोहित पिता हरी कामले, उम्र 27 वर्ष, निवासी सेंगवाल, थाना ठीकरी, को भा.द.वि. की धारा 354 के अंतर्गत अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

10— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11— अभियुक्त के द.प्र.सं. की धारा—428 के अंतर्गत निरोध की अवधि के प्रमाण—पत्र बनाये जाए।

12— प्रकरण में जप्त सम्पत्ति नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.